

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक :- 22

दिनांक :- 12/3/25

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्वदेश क्रमांक 16 दिनांक 24.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 22/03/2025 व 23/03/2025 तथा दिनांक 30/03/2025 व 31/03/2025 के राजकीय अवकाशों को जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बिलाड़ा, बालेसर, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित राजकीय अवकाशों में उक्तानुसार कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ :-

क्र. सं.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	क्षेत्राधिकार
6.	श्री शैलेन्द्र राज गोस्वामी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां	22/03/2025 23/03/2025	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, ओसियां, भोपालगढ़ न्यायालयों हेतु
7.	श्रीमती वैदेहीसिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसरा	30/03/2025 31/03/2025	

उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश (क्रमांक 16 दिनांक 24.02.2025) यथावत रहेगा।

— 52 —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 24

दिनांक : 12/3/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
- 2 श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
- 3 श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलोदी/बिलाड़ा/बालेसर।
- 4 श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 व 2 फलोदी/बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बालेसर/ओसियां।
- 5 श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/फलोदी/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बाप/लोहावट/बिलाड़ा। श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
- 6 श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण/फलोदी को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
- 7 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
- 8 उप निदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
- ✓ 9 सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 10 कार्यालय प्रति।

— 10 —
12/03/25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला